न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -05/2024

अनवान

वन विभाग राजस्थान सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, जावदा, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान।

-वादी

बनाम

1. श्रीमती चन्द्रकान्ता उर्फ चन्द्रकलां पत्नी ओमप्रकाश जैन, आयु बालिग, निवासी शिवालिकी विहार, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री राहुल जैन अभिभाषक प्रार्थी।
श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय दिनांक 02.01.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी ने विपक्षी के विरूद्ध एक वाद पत्र पेश किया है जो सत्य एव ठोस तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थी के पक्ष में डिक्री होगा लेकिन वाद पत्र के निस्तारण में लम्बा समय लगने की संभावना है इसलिये मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। राजस्थान सरकार द्वारा स्थानीय जैव विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से लोकहित एंव लोक उद्देश्यो हेतु राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 के तहत राजस्व विभाग (क) की विज्ञप्ति संख्या डी. 57 दिनांक 19/09/1948 से प्रारंभिक नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 20 के अन्तर्गत विज्ञप्ति क्रमांक 99 दिनांक 05/10/1961 से वनखण्ड सांगवा खोरडिया के खसरा संख्या 06 को वन भूमि घोषित किया गया। उक्त घोषित वनखण्ड सांगवा खोरडिया व घाटी घोषणा में वर्णित सीमा विवरण अनुसार पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण चारों दिशा में वन भूमि है। कलम संख्या 01 व 02 अनुसार मौजा वन खण्ड सांगवा खोरडिया मे ग्राम घाटी की घोषणा के पश्चात् राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानो अनुरूप विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाई जाकर सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा उसका विधि सम्मत् प्राप्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त घोषित रक्षित वन खण्ड सांगवा खोरडिया मे ग्राम घाटी की वन भूमि पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियो अथवा वर्गो के धारित अधिकारो की सुनवाई पश्चात् वन सीमा को लाईन डिमारकेशन कर उसकी सीमा के भीतर पड़ने वाली भूमि का खसरा बन्दोबस्त निम्नानुसार तैयार किया गयाः- कार्यालय सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी उदयपुर खसरा बन्दोबस्त बाबत् वन खण्ड सांगवा खोरडिया रेन्ज बेगूँ हाल रेन्ज जावदा ग्राम घाटी तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ 2022 सम्मत् वर्ष खसरा संख्या 1, क्षेत्रफल 1018 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 2, क्षेत्रफल 129 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 3, क्षेत्रफल 94 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 4, क्षेत्रफल 33 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 5, क्षेत्रफल 34 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 6, क्षेत्रफल 67 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 7, क्षेत्रफल 34 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 8, क्षेत्रफल 66 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 9, क्षेत्रफल 30 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 10, क्षेत्रफल 13 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 11, क्षेत्रफल 67 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 12, क्षेत्रफल 125 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 13, क्षेत्रफल 5 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 14, क्षेत्रफल 15 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 15, क्षेत्रफल 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 16, क्षेत्रफल 0 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 17, क्षेत्रफल 0 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 18, क्षेत्रफल 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 19, क्षेत्रफल 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 20, क्षेत्रफल 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 21, क्षेत्रफल 6 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 22, क्षेत्रफल 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या [illegible] क्षेत्रफल 0 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 24, क्षेत्रफल 9 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 25, क्षेत्रफल 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 26, क्षेत्रफल 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 27, क्षेत्रफल 1 बीघा [illegible] बिस्वा, खसरा संख्या 28, क्षेत्रफल 6 बीघा 0 बिस्वा, खसरा संख्या 29, क्षेत्रफल 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 30, क्षेत्रफल 9 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 31, क्षेत्रफल 3 बीघा 04 बिस्वा खसरा संख्या 32, क्षेत्रफल 0 बीघा [illegible] बिस्वा, खसरा संख्या 33, क्षेत्रफल [illegible] बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 34, क्षेत्रफल 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 35, क्षेत्रफल 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 36, क्षेत्रफल 8 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 37, क्षेत्रफल 46 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 38, क्षेत्रफल 13 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 39, क्षेत्रफल 60 बीघा 0 बिस्वा, खसरा संख्या 40, क्षेत्रफल 496 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 41, क्षेत्रफल 155 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 42, क्षेत्रफल 66 बीघा 17

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.02.28 15:14:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

स्वा, खसरा संख्या 43, क्षेत्रफल 598 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 44, क्षेत्रफल 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 45, क्षेत्रफल 1267 बीघा 0 बिस्वा, खसरा संख्या 46/1, क्षेत्रफल 350 बीघा 0 बिस्वा, खसरा संख्या 47/9, क्षेत्रफल 31 बीघा 0 बिस्वा, खसरा संख्या 48/8, क्षेत्रफल 171 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 49/14, क्षेत्रफल 14 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 50/12, क्षेत्रफल 93 बीघा 0 बिस्वा, खसरा संख्या 51/14, क्षेत्रफल 16 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 52/39, क्षेत्रफल 426 बीघा 5 बिस्वा, कुल किता 52, कुल क्षेत्रफल 5360 बीघा 7 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है। सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी उदयपुर द्वारा खसरा बन्दोबस्त बाबत वन खण्ड सांगवा खोरडिया रेंज बेगूँ वर्तमान हाल रेन्ज जावदा तैयार किये जाने के पश्चात् उक्त खसरा बन्दोबस्त में वर्णित समस्त कृषि आराजीयात को वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु उक्त समस्त पत्रावलिया सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी उदयपुर द्वारा जिला कलेक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ के पास भिजवाई गई। जहां से तहसीलदार के मार्फत राजस्व कर्मचारी पटवार हल्का के पास निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पहुंच गई जहां पर पटवार हल्का द्वारा एक नामान्तरण संख्या 48 इस वन बन्दोबस्त खसरा में वर्णित समस्तकृषि आराजीयात को वन विभाग के नाम दर्ज किये जाने हेतु खोला गया। जिसमे पटवार हल्का द्वारा गलती से खसरा बन्दोबस्त मे वर्णित समस्त कृषि आराजीयात को वन विभाग के नाम दर्ज नहीं कर केवल कुछ ही कृषि आराजीयात वन विभाग के नाम दर्ज की गई। जो एक राजस्व कर्मचारियो की गलती का परिणाम है। जिस कारण शेष रही आराजी संख्या को राजस्व कर्मचारियो ने जानबूझकर वन विभाग की भूमि होते हुए भी विपक्षी को आवंटन कर दी गई थी। जो कानूनन संभव नही था। सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी का खसरा व नामान्तरण संख्या 48 की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है। जिससे यह स्पष्ट है कि वन विभाग की भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारियो की गलती से दर्ज नही हुई है। इस प्रकार प्रकरण प्रथमदृष्ट्या प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है। अंत में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि मूल वाद पत्र के निस्तारण तक वह मौजा घाटी की सहायक बन्दोबस्त अधिकारी उदयपुर के खसरा बन्दोबस्त में वर्णित खसरा 6 मौजा घाटी पटवार हल्का मेघनिवास तहसील रावतभाटा की वर्तमान आराजी संख्या 89/6 रकबा 2.700 हैक्टेयर भूमि में विपक्षी किसी प्रकार की दखलदांजी उत्पन्न नहीं करे एवं न ही किसी नोकर, ऐजेन्ट, रिश्तेदार आदि से करावे तथा विपक्षी वाद के निस्तारण तक उक्त भूमि को किसी प्रकार से हस्तान्तरित आदि न करे करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब करने पर विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत मय वकालतनामा प्रस्तुत हो जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 में वर्णित वाद पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार है लेकिन प्रार्थी द्वारा जो वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है कि वह झूठे व मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार होकर खारिज होगा, उक्त वाद पत्र से किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में जो उदघोषणा प्रार्थी की ओर से बताई गई है वह राजस्थान सरकार के पर्यावरण विभाग से संबंधित है। उक्त अधिसूचना से अप्रार्थी 1 का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आराजी संख्या 6 मौजा घाटी में अवस्थित है। उक्त कृषि आराजीयात जिसके नवीन आराजी संख्या 89/6 रकबा 2.70है0 भूमि अप्रार्थीया संख्या 1 ने जरिए रजिस्टर्ड बहनामा क्रय कर अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम पर पंजीकृत बहनामे से दर्ज हुई है। उक्त कृषि आराजीयात कभी भी वन भूमि नहीं रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित तथ्यों का अप्रार्थीया से कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित वन खण्ड सागवा-खोरडिया घाटी की सीमाओं में अवस्थित रहा है। जिसके की प्रार्थी ने पडोस अंकित किए है जिससे भी अप्रार्थीया का किसी प्रकार से संबंध सरोकार नही है। अप्रार्थीया की आराजीयात अप्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज होकर अप्रार्थीया के ही स्वामित्व आधिपत्य में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 में अंकित तथ्य की बंदोबस्त अधिकारी द्वारा खसरा बंदोबस्त तैयार किए जाने के पश्चात उक्त खसरा बंदोबस्त में वर्णित कृषि आराजीयात को प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए जाने हेतु पत्रावलियां सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी उदयपुर द्वारा जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ को भिजवाई है जो तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पंहुचाई गई है। नामांतरण [illegible] वन बंदोबस्त खसरा में वर्णित कृषि आराजीयात के नाम दर्ज किए जाने हेतु [illegible] पटवार हल्का की गलती से खसरा बंदोबस्त में वर्णित समस्त कृषि आराजीयात को प्रार्थी [illegible] गलत होकर अस्वीकार है। राज्य सरकार की उदघोषणा अनुसार बिलानाम भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज हुई है व खातेदारान की भूमि खातेदारान के यथावत रखी गई है। अप्रार्थी के उक्त कृषि आराजीयात को [illegible]दार से क्रय कर अपने नाम अंकित करवाई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का कथन कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की गलती से उक्त आराजी खातेदार के नाम दर्ज हो गई पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के तहत व धारा 30 के तहत सरकारी भूमि ही वन विभाग को राज्य सरकार आवंटित कर सकती है। खातेदारान की भूमि को राज्य सरकार द्वारा वन विभाग को दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। प्रार्थी स्वयं काश्तकार नहीं है व

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.02.28 15:14:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

प्रार्थी विवादित भूमि को काश्तकारी हेतु घोषणा नहीं चाह रहा है। विवादित भूमि कृषि खातेदार की होकर कृषि भूमि है जो कृषि के ही उपयोग उपभोग में आ रही है। प्रार्थी विभाग को किसी प्रकार का वाद कारण पैदा नहीं होता है। बिना वाद कारण के प्रार्थी ने अप्रार्थीया को नाजायज जलील व परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अंत में अप्रार्थीया द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तथा राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 20 के अन्तर्गत विज्ञप्ति क्रमांक 99 दिनांक 05/10/1961 से वनखण्ड सांगवा खोरडिया के खसरा संख्या 06 को वन भूमि घोषित किया गया। उक्त घोषित वनखण्ड सांगवा खोरडिया व घाटी घोषणा में वर्णित सीमा विवरण अनुसार पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण चारों दिशा में वन भूमि है। मौजा वन खण्ड सांगवा खोरडिया मे ग्राम घाटी की घोषणा के पश्चात् राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानो अनुरूप विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाई जाकर सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा उसका विधि सम्मत् प्राप्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त घोषित रक्षित वन खण्ड सांगवा खोरडिया मे ग्राम घाटी की वन भूमि पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियो अथवा वर्गो के धारित अधिकारो की सुनवाई पश्चात् वन सीमा को लाईन डिमारकेशन कर उसकी सीमा के भीतर पड़ने वाली भूमि का खसरा बन्दोबस्त तैयार कर कुल किता 52, कुल क्षेत्रफल 5360 बीघा 7 बिस्वा वन खण्ड सांगवा खोरडिया रेन्ज बेगूँ हाल रेन्ज जावदा ग्राम घाटी तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ के नाम दर्ज किया गया है। अंत में अप्रार्थीया को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर मूल वाद पत्र के निस्तारण तक खसरा बंदोबस्त में वर्णित खसरा संख्या 6 मौजा घाटी प0ह0 मेघनिवास की वर्तमान आराजी संख्या 89/6 रकबा 2.70है0 भूमि मे विपक्षी किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नही करे एवं न ही किसी अन्य दिगर व्यक्ति करावें। इसके विपरित वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि आराजी संख्या 6 मौजा घाटी में अवस्थित है। उक्त कृषि आराजीयात जिसके नवीन आराजी संख्या 89/6 रकबा 2.70है0 भूमि अप्रार्थीया संख्या 1 ने जरिए रजिस्टर्ड बहनामा क्रय कर अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम पर पंजीकृत बहनामे से दर्ज हुई है। उक्त कृषि आराजीयात कभी भी वन भूमि नहीं रही है, अप्रार्थीया की आराजीयात अप्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज होकर अप्रार्थीया के ही स्वामित्व आधिपत्य में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र का अवलम्बन लेकर अप्रार्थीया के नाम दर्ज कृषि आराजीयात पर अनाधिकृत तरीके से कब्जा करने व उक्त भूमि को भी वन खण्ड भूमि में सम्मिलित करना चाहता है जिसके लिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 मे जो वन खण्ड भूमि दर्ज रिकार्ड है उसके संबंध में लिस्ट अंकित की है। वन खण्ड सागवा- खोरडिया घाटी से संबंधित है जो वन विभाग के नाम दर्ज आराजीयात के संबंध में है जबकि अप्रार्थीया की आराजीयात अप्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होकर अप्रार्थीया के आधिपत्य में चली आ रही है। उक्त भूमि वन विभाग को प्राप्त हुई है उक्त तथ्य गलत होकर अस्वीकार है बिना वाद कारण के प्रार्थी के अप्रार्थीया को नाजायज परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

-:आदेश:-

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ग्राम घाटी, प0ह0 मेघनिवास तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 36 खसरा संख्या 89/6 रकबा 2.70 हैक्टर खाते में प्रार्थीया चन्द्रकला पत्नि ओमप्रकाश जैन के नाम दर्ज रिकार्ड है, किन्तु पत्रावली में शामिल साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आराजी संख्या 6 वनखण्ड सांगवा खोरडिया प्रथमदृष्टया पूर्ण रूप से वन भूमि की होना प्रतित होती हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के निस्तारण होने पर ही वस्तुस्थिति स्पष्ट होना प्रतित होती है। जिससे प्रथमदृष्टया हक प्रार्थी का होना साबित होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीया के पक्ष में न होकर प्रार्थी के पक्ष में अधिक है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम घाटी प0ह0 मेघनिवास की आराजी संख्या 89/6 रकबा 2.70है0 कृषि भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.02.28 15:14:37 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा